

दिल्ली पुलिस में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली

दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कई डिजिटल पहल की हैं। दुनिया भर के रुझानों के साथ तालमेल रखने के लिए वांछित तकनीकी उन्नति प्राप्त करने के लिए तकनीकी उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पिछले वर्ष शामिल किए गए एक मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ने विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य योगदान देने के अलावा चल रही परियोजनाओं पर भी नजर रखी।

दिल्ली पुलिस द्वारा पहले से शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों को जारी रखा गया और दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उनमें सुधार किया गया।

मोटर वाहन चोरी की शिकायत हेतु ई-एफआईआर

ई-एफआईआर दर्ज करने के लिए वाहन चोरी की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और बीमा का दावा करने के लिए अदालत द्वारा अनुमोदित अंतिम रिपोर्ट वेब-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से काम करती रही। नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की यह अनूठी पहल थी, जिसमें कोई भी घर से कंप्यूटर या मोबाइल फोन के माध्यम से मोटर वाहन चोरी के लिए ई-एफआईआर दर्ज कर सकता है। पूरी जांच ई-पुलिस स्टेशन के माध्यम से समयबद्ध तरीके से की जाती है। अदालतों की प्रक्रिया भी इस उद्देश्य के लिए नामित पारिस्थितिक न्यायालयों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है। गत वर्ष के दौरान, 46,064 एमवी चोरी ई-एफआईआर दर्ज की गई हैं और अप्रैल, 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से अब तक 1.48 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। ई-न्यायालयों ने इस एप्लिकेशन के माध्यम से अब तक 1,22,255 अनट्रेस्ट रिपोर्ट स्वीकार की हैं, जिससे शिकायतकर्ता संबंधित बीमा कंपनियों के समक्ष अपने दावे दर्ज कर सकते हैं।

संपत्ति चोरी की चोरी की शिकायत हेतु ई-एफआईआर

यह ऐप नागरिकों को दिल्ली में चोरी हुई संपत्ति के लिए, वेब के माध्यम से, कभी भी, कहीं भी, पुलिस स्टेशन जाने के बिना, ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। शिकायतकर्ता, क्षेत्र के एसएचओ, वरिष्ठ अधिकारियों और नामित न्यायालय आदि के ई-मेल पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एफआईआर की एक प्रति तत्काल भेजी जाती है। गत वर्ष के दौरान, 1,33,920 संपत्ति ई-एफआईआर दर्ज की गई हैं और फरवरी, 2016 में लॉन्च होने के बाद से अब तक कुल 3,11,548 ई-एफआईआर दर्ज की गई हैं।

लॉस्ट रिपोर्ट ऐप

इस ऐप का उद्देश्य पासपोर्ट, आई-कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के खो जाने की स्थिति में एक व्यक्ति को एक रिपोर्ट जारी करना है। इस मोबाइल/वेब आधारित ऐप पर प्रासंगिक विवरण दर्ज करके, कोई भी दर्ज लॉस्ट रिपोर्ट कर सकता है रिपोर्ट और उसी की प्रिंट करने योग्य डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है और संबंधित प्राधिकरण से नए दस्तावेज़ को पुनः जारी करने के लिए इस दस्तावेज़ का उपयोग कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से अब तक 86,71,163 गुमशुदगी की रिपोर्ट ऑनलाइन जारी की जा चुकी है।

हिम्मतप्लसऐप

महिलाओं के लिए हिम्मतप्लस एसओएस ऐप को 6 फरवरी 2018 को फिर से लॉन्च किया गया। ऐप को द्विभाषी बनाया गया है। पंजीकरण केवल ऐप के माध्यम से सरल और संभव है। साथ ही ऐप को समाज के सभी वर्गों के लिए आपातकालीन सुरक्षा ऐप से उपयोगिता ऐप में बदल दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज और दिल्ली पुलिस के ट्रिविटर हैंडल को भी ट्रैफिक अपडेट के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के अन्य अपडेट प्रदान करने के लिए ऐप में जोड़ा गया है ताकि यूजर्स को फायदा हो सके। नए ऐप में टैक्सियों, टीएसआर और ई-रिक्शा के ड्राइवरों के क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए एक विशेष सुविधा बनाई गई है। युवाओं और महिलाओं के बीच हिम्मत ऐप की प्रभावशीलता और पहुंच बढ़ाने के लिए इसकी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। गत वर्ष के दौरान, ऐप को 66,946 व्यक्तियों द्वारा डाउनलोड किया गया और 46,111 व्यक्तियों को ऐप पर पंजीकृत किया गया है।

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट

वीजा के लिए आवेदन करने, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, नौकरी पाने आदि के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। आवेदक द्वारा भरे गए मूल विवरण को सीआरओ के रिकॉर्ड के साथ स्वचालित रूप से जांचा जाता है। पीसीसी 7 कार्य दिवसों के भीतर उत्पन्न होता है। गत वर्ष के दौरान, 2,96,964 व्यक्तियों ने आवेदन किया और 1,89,709 पीसीसी जारी किए गए।

ऑनलाइन चरित्र सत्यापन

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक ऑनलाइन चरित्र सत्यापन पोर्टल शुरू किया है जो किसी भी समय, कहीं से भी एक बटन दबाकर चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण, व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने और दस्तावेजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। गत

वर्ष के दौरान, 68,102 व्यक्तियों ने आवेदन किया है और 52,347 सीवीआर जारी किए गए हैं। अब तक 1,93,564 व्यक्तियों ने आवेदन किया है और इसकी शुरुआत के बाद से 1,56,925 सीवीआर जारी किए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिक ऐप

यह मोबाइल ऐप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आसान पंजीकरण और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बीट अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नंबरों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इसमें आपातकालीन कॉल के लिए एक एसओएस बटन भी है, जो वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1291 से जुड़ता है। आपातकालीन कॉल, कॉल करने वाले के स्थान को इंगित करता है और साथ ही साथ क्षेत्र के एसएचओ, बीट अधिकारी और एक पूर्व निर्धारित संपर्क को एसएमएस के माध्यम से अलर्ट करता है। ऐप के माध्यम से बीट अधिकारी पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई बीट अधिकारी किसी पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक से मिलने जाता है, तो उसे उसके साथ सेल्फी लेने और उसे ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। यह ऐप वरिष्ठ नागरिकों को सीधे पंजीकृत करने के लिए क्षेत्र के एसएचओ को भी सुविधा प्रदान करता है। अभी तक 12,988 नागरिकों ने वरिष्ठ नागरिक मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिसमोबाईल ऐप

इस ऐप को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा आम जनता के साथ दोतरफा बातचीत के लिए ट्रैफिक स्थिति की जानकारी साझा करने और दिल्ली की सड़कों पर यातायात के बेहतर प्रबंधन में भाग लेने के लिए जनता को आमंत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह ऐप विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक की स्थिति के बारे में ट्रैफिक एडवाइजरी और ट्रैफिक अलर्ट जारी कर आम जनता को जानकारी प्रदान करता है। इसमें गूगल मैप पर प्रदान की गई हवाई दूरी के आधार पर ऑटो/टैक्सी के लिए किराया गणना की सुविधा भी है। जनता ऑटो/टैक्सी चालक के खिलाफ मना करने/अधिक चार्ज करने और उत्पीड़न आदि के लिए शिकायत दर्ज कर सकती है। जनता भी खराब ट्रैफिक सिग्नल के बारे में शिकायत दर्ज कराकर यातायात प्रबंधन में मदद कर सकती है। ऐप विभिन्न अपराधों और दंडों के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। वर्ष 2018 के दौरान ट्रैफिक सेंट्रल ने इस ऐप पर 1,08,014 ट्रैफिक उल्लंघन की सूचना दी थी। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद से 3.72 लाख से अधिक ट्रैफिक उल्लंघन की सूचना मिली है।

वन टच अवे

यह ऐप एक मंच पर समाधान के रूप में केवल एक टच द्वारा दिल्ली पुलिस द्वारा ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें दिल्ली पुलिस के सभी पब्लिक डीलिंग अधिकारियों के संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी, ट्रैफिक सूचना, हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम नंबर और दिल्ली पुलिस के सभी मोबाइल ऐप-लॉस्ट रिपोर्ट, ट्रैफिक ऐप और हिम्मत ऐप आदि का विवरण शामिल है। इस ऐप को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे एक सर्वग्राही ऐप बनाने के लिए अपग्रेड किया गया है जो जनता को दिल्ली पुलिस के एक कदम और करीब लाता है।

ऑनलाइन साइबर सुरक्षा वेबसाइट

साइबर सुरक्षा मुद्राओं पर नागरिकों के साथ सक्रिय संचार करने और पीड़ितों के लिए एक उत्तरदायी साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा पर एक वेबसाइट www.cybercelldelhi.in शुरू की गई है। ऐसे अपराधों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक विभिन्न सुरक्षा सावधानियों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें महिलाओं, बच्चों, माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और व्यवसायियों जैसे विभिन्न प्रकार के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न 'क्या करें' और 'क्या न करें' पर एक विशेष खंड भी है। वेबसाइट साइबर अपराध के पीड़ितों के लिए साइबर शिकायत कैसे दर्ज करें और प्रत्येक प्रकार के साइबर अपराध दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

सामुदायिक पुलिस पहल

दिल्ली पुलिस ने सक्रिय रूप से समुदाय तक पहुंचने का बीड़ा उठाया है और कई सामुदायिक पुलिस पहल शुरू की हैं। पिछले वर्षों में की गई विभिन्न पहलों को वर्ष 2018 में भी जोरदार ढंग से जारी रखा गया।

सशक्ति : आत्मरक्षा प्रशिक्षण

बड़ी संख्या में महिलाएं घर से बाहर काम कर रही हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने उनमें किसी भी अनुचित कार्य का विरोध करने और बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस को ऐसे कृत्यों की रिपोर्ट करने के लिए आत्मविश्वास की भावना पैदा की है।

आत्मरक्षा के लिए लड़कियों/महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है और हमलावरों से बचने के कौशल के साथ उन्हें सशक्त बनाया जाता है। महिलाओं और बच्चों और जिलों के लिए विशेष पुलिस इकाई में आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीमों को नामित किया गया है।

स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक केंद्रों, पार्कों और जेजे क्लस्टरों में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां लड़कियों को विशेष रूप से डिजाइन की गई आत्मरक्षा तकनीक सिखाई जाती है।

शक्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017 में 989 कार्यक्रमों में 2,08,125 बालिकाओं/महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2018 में 1451 कार्यक्रमों में 2,95,276 बालिकाओं/महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 2002 से इस योजना के तहत आयोजित 5,172 कार्यक्रमों में अब तक 9,98,216 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करके 'लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में प्रवेश किया है।

प्रहरी योजना

प्रहरी, पुलिसिंग के लिए एक बल गुणक, अपराध की रोकथाम में गार्ड और चौकीदार जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक पहल है। इसका उद्देश्य बेहतर पुलिस-पब्लिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुदाय में स्वामित्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। प्रहरी का उद्देश्य सामुदायिक पुलिसिंग में पुलिस सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सुरक्षा प्रदाताओं के बीच साझेदारी और सहयोग को संस्थापित बनाना है। योजना के उद्देश्य हैं i) अपराध प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना, ii) संपत्ति अपराध को कम करना, iii) पुलिस-जनसंपर्क को बढ़ावा देना, iv) सामुदायिक भावना को बढ़ाना, v) चौकीदारों और सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा उपकरणों से लैस करना, और vi) क्षेत्र में अपराध की रोकथाम और पता लगाने में इन हितधारकों के समर्थन को सूचीबद्ध करना। इस योजना के तहत अब तक 19,812 परहरी का नामांकन किया जा चुका है।

पुलिस मित्र

इस योजना का उद्देश्य नागरिक समाज को अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था के रखरखाव में शामिल करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रभावी पुलिसिंग हासिल करना है। पुलिस मित्र पिकेट ड्यूटी, यातायात प्रबंधन, खुफिया जानकारी एकत्र करने और कानून व्यवस्था की व्यवस्था आदि में स्थानीय पुलिस की सहायता करते हैं। इस योजना के तहत अब तक 1,862 पुलिस मित्र चुने जा चुके हैं।

निगेहबान

इस योजना के तहत दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों का सर्वेक्षण किया है और उन संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार की है जहां सीसीटीवी निगरानी की आवश्यकता है। व्यक्तियों, आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूए को अपने संसाधनों को पूल करके चिन्हित स्थानों

पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। यह परियोजना देश में सक्रिय सामुदायिक पुलिसिंग का एक चमकदार उदाहरण है। 'थर्ड-आई' पुलिस जांच के लिए एक उत्कृष्ट सहायता है और पूरे शहर में रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ अधिक सीसीटीवी कैमरों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2018 के दौरान इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया और अब तक इस योजना के तहत सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़कर 2,23,758 हो गई है।

आंख और कान

"आंख और कान" योजना में जनता के विभिन्न वर्गों जैसे रेहड़ीवाले, चौकीदार, पटरीवाले, सुरक्षा गार्ड, पार्किंग अटेंडेंट, तिपहिया/टैक्सी चालक, बस चालक/कंडक्टर, कुली, दुकानदार, प्रॉपर्टी एजेंट, सेकेंड हैंड कार डीलर, जर्मींदार आरडब्ल्यूए/एमडब्ल्यूए के सदस्य, साइबर कैफे के मालिक और पीसीओ के मालिक, गेस्ट हाउस के मालिक और अन्य सतर्क नागरिक व्यक्तियों और अपराधों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने में शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा, नागरिकों की कई अन्य श्रेणियां भी हैं जिन्हें पुलिस की "आंख और कान" के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये नागरिक सुरक्षा समितियों के रूप में हैं, धोबी, नाई, मोची, प्लंबर, चाबी के ताले की मरम्मत करने वाले, छात्र, पेट्रोल पंप कर्मचारी, यहां तक कि मलिन बस्तियों/छोटे क्षेत्रों में डॉक्टर, घरेलू सहायता प्रदाता, घरेलू नौकर, टीवी/फ्रिज/कंप्यूटर मैकेनिक, मदर डेयरी बूथ संचालक, होटलों/अतिथि गृहों/भोजन गृहों विशेषकर ढाबों के सुरक्षा व अन्य कर्मचारीआदि। जनता को जानकारी साझा करने में सक्षम बनाने के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 1090 सक्रिय किया गया है। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। ऐसी सूचनाओं को ई-मेल करने के लिए वेबसाइट www.delhipolice.gov.in पर एक लिंक भी बनाया गया है। इस योजना के तहत कुल 1,36,893 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें 1067 बैठकों में डीसीपी, 4,213 एसीपी, 24,452 एसएचओ, 21,970 इंस्पेक्टर एटीओ और शेष 85,191 बैठकों में डिवीजन/बीट स्टाफ ने भाग लिया।

पड़ोस निगरानी योजना

समुदाय के साथ लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी को बढ़ावा देने और सुरक्षा बढ़ाने और अपराध के डर को कम करने के लिए, शहर में दिल्ली पुलिस द्वारा नेबरहुड वॉच स्कीम का तंत्र सफलतापूर्वक चलाया गया है। इसका उद्देश्य निवासियों की क्षमताओं का उपयोग करके पड़ोस की सुरक्षा को बढ़ाना है। निवासी और स्थानीय पुलिस इस योजना में भागीदार हैं और संबंधित क्षेत्र की सुरक्षा में सुधार के लिए समन्वित प्रयास में काम करते हैं।

निर्भीक

हालांकि यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस से मदद लेने के लिए आम जनता के पास कई मंच उपलब्ध हैं, फिर भी ऐसे अपराधों की प्रभावी रिपोर्ट करने के लिए स्कूल/कॉलेज जाने वाली आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए एक विशेष मंच बनाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारी “सह-शैक्षिक” के साथ-साथ केवल लड़कियों के स्कूलों का नियमित दौरा करते हैं और छात्राओं के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करते हैं। इन सत्रों का उद्देश्य उनके साथ तालमेल बनाना है, उनमें विश्वास की भावना पैदा करने के लिए दिल्ली पुलिस की विभिन्न पहलों के बारे में बात करना और यौन शोषण के खिलाफ बरती जाने वाली बुनियादी सावधानियों के बारे में उन्हें जागरूक बनाना है। स्कूल भ्रमण के दौरान वर्ष 2018 में इस योजना के तहत 3,21,336 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

गो-टू-स्कूल पहल

यह स्कूली बच्चों के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उन्हें सड़क सुरक्षा शिक्षा के बारे में जागरूक करना और साथ ही ऑनलाइन होने पर साइबर अपराध के खिलाफ कैसे सुरक्षित रहना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, दिल्ली पुलिस भविष्य के नागरिकों के साथ पुल बनाना चाहती है और निवारक सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना चाहती है। स्कूलों में बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए “नेट पर बच्चों की सुरक्षा” पर दो घंटे का गहन एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया गया है।

शिष्टाचार

इस योजना के तहत सादी वर्दी में महिला पुलिस अधिकारियों को बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, सिनेमा हॉलों और बसों जैसे व्यस्त स्थानों पर छेड़खानी करने वालों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाता है। अपराधियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले जाया गया है। वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 19,336 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पहचान

लापता बच्चों से संबंधित अपहरण के मामलों की जांच उनके परिवारों के साथ ऐसे बच्चों के फोटो नहीं होने के कारण बाधित हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए पहचान योजना शुरू की गई। सभी बच्चों के साथ परिवार की एक तस्वीर ली जाती है और तस्वीर की एक प्रति परिवार को रिकॉर्ड के लिए दी जाती है ताकि किसी बच्चे के लापता होने की सूचना

मिलने पर उसकी तस्वीर उपलब्ध हो सके। इस योजना के तहत अब तक कुल 1,90,097 बच्चों के फोटो खींचे जा चुके हैं।

यातायात प्रहरी योजना

दिल्ली पुलिस ने “यातायात प्रहरी योजना” शुरू की है, जो एक जनभागीदारी योजना है। यह नागरिकों को दिल्ली की सड़कों पर उनके द्वारा देखे गए यातायात उल्लंघनों की सूचना दिल्ली यातायात पुलिस को देने का अधिकार देता है। कार्रवाई योग्य रिपोर्ट पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह योजना संबंधित नागरिकों को दिल्ली की सड़कों पर यातायात अनुशासन की आदत डालने में मदद करने का अवसर प्रदान करती है। एक आकर्षक इनाम प्रणाली भी इस योजना का एक हिस्सा है।

युवा: कौशल विकास में युवाओं को शामिल करना

दिल्ली में युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा एक विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम “युवा” शुरू की गई है। युवा का उद्देश्य युवा वयस्कों और वंचित बच्चों को दूर करना है, जो उचित शिक्षा और खेल सुविधाओं के अभाव में अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। दिल्ली पुलिस युवा वयस्कों और वंचित बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए खेल गतिविधियों, पैटिंग कार्यशालाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के आयोजन जैसी पहल करती है। गत वर्ष के दौरान, 844 खेल आयोजन किए गए जिनमें 19,402 बच्चों ने भाग लिया, 219 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 4,088 बच्चों ने भाग लिया।

नाज़ुक

नाज़ुक दिल्ली की एक नई पहल है जो छोटी बच्चियों के मन में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उन्हें आवाज़ उठाना सिखाती है और बच्चों के व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थानों को उनके लिए सुरक्षित बनाने के लिए ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करती है। बाल यौन शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रोल प्ले, लघु फिल्मों और नाटकों की मदद से बच्चों और उनके अभिभावकों को संभावित खतरों के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है।

मौजूदा योजनाओं को आगे बढ़ाना

आतंकवाद विरोधी उपाय

देश में सुरक्षा परिवृश्य के तेजी से संवेदनशील होने के साथ, सभी महानगरीय शहरों को अपनी आतंकवाद विरोधी तैयारियों को तेज करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी होने के

नाते, दिल्ली लगातार राष्ट्र-विरोधी संगठनों के रडार पर है, और उच्च आतंकवाद विरोधी अलर्ट की आवश्यकता पर शायद ही अधिक जोर दिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में कई आतंकवाद-रोधी उपाय किए हैं, जिनमें किरायेदारों का सत्यापन, पुराने कार डीलरों और साइबर कैफे की जाँच, गेस्ट हाउसों की जाँच, तेज़ गति से पलायन को रोकने के लिए समय-समय पर औचक जाँच और अपराध संभावित दोनों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना शामिल है।

सभी महिला स्वात टीम का गठन किया गया है और महिला कमांडो को प्रशिक्षित किया गया है। यह भारत में एकमात्र ऐसी “सभी महिला स्वात टीम” है। टीम कठोर अपराधियों से निपटने और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए समर्पित है। सभी महिला स्वात कर्मियों को एक -47 राइफल्स, एमपी 5 मशीन गन, गलॉक 17 या 26 पिस्टल और बढ़ी हुई नाइट विजन वाली कॉर्नर शॉट डिवाइस से लैस किया गया है। स्वात की महिला कमांडो को क्रावमागा में प्रशिक्षित किया गया है जो इजरायल रक्षा बलों के लिए विकसित एक आत्मरक्षा प्रणाली है।

शहर में आतंकवाद विरोधी बैकअप के रूप में रणनीतिक स्थानों पर 30 वैन की तैनाती के साथ “पराक्रम” कमांडो वाहनों के एक समर्पित दस्ते को बढ़ाया गया है। इन “पराक्रम” वैन को आतंकवाद विरोधी और अन्य गंभीर परिस्थितियों के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए सशस्त्र प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इन “पराक्रम” वैन को तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य तुरंत प्रतिक्रिया देना हैवास्तविक जीवन की स्थितियों में कोई आतंकी हमला और उनकी दृश्यता और प्रतिरोध के साथ नागरिकों में सुरक्षा और सुरक्षा की भावना पैदा करना है। ये सभी “पराक्रम” वैन जीपीआरएस सक्षम हैं और पैन-दिल्ली वायरलेस संचार से सुसज्जित हैं। हर “पराक्रम” वैन में एक ड्राइवर, एक इंचार्ज और तीन कमांडो होते हैं। इन वैनों पर तैनात चालक छोटे हथियारों से लैस होते हैं और एनएसजी द्वारा 360 डिग्री टर्निंग और मोबाइल मोड में फायरिंग के साथ आक्रामक/उच्छृंखल ड्राइविंग में प्रशिक्षित होते हैं। सभी कमांडो उच्च शक्ति वाली एके-47 राइफलों से लैस हैं, और कमांडो की टुकड़ी में महिला कमांडो का भी अच्छा मिश्रण है।

दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ अपने आतंकवाद विरोधी अभियानों को शुरू करने के अलावा आतंकवाद विरोधी खुफिया जानकारी एकत्र करने, मिलान करने और प्रसारित करने के लिए लगातार अलर्ट पर है।

सीसीटीएनएस

दिल्ली पुलिस के सभी थानों में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट लागू किया गया है। इसे 1 सितंबर, 2018 से नए सीएएस संस्करण 4.5 में अपग्रेड किया गया है और डायल -100, ई-

एमवी चोरी, एफआईआर, ई-संपत्ति चोरी, अपराध और आपराधिक सूचना प्रणाली, आपराधिक डोजियर सिस्टम, स्वचालित फिंगर और पाम प्रिंट पहचान प्रणाली आदि जैसी पहले से विकसित अन्य दिल्ली पुलिस अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया गया है। दिल्ली पुलिस न केवल सीएएस अपनाने वाले राज्यों में बल्कि मुख्य कंप्यूटर सर्वर से लिए गए वास्तविक समय के आधार पर दस्तावेजों पर डिजिटल टाइम स्टैम्पिंग की नीति अपनाने वाले उन्नत राज्यों के रूप में घोषित राज्यों में भी एकमात्र राज्य है। इस पहल के साथ काम करने वाली पुलिस सीसीटीएनएस के माध्यम से बनाए गए जांच दस्तावेजों पर सेंट्रल सर्वर टाइम स्टैम्पिंग के साथ पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है और जांच अधिकारी द्वारा हेरफेर या समायोजन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। डेटा सेंटर और डेटा रिकवरी सेंटर के साथ-साथ नेशनल डेटा सेंटर के बीच एक सहज कनेक्टिविटी भी स्थापित की गई है।

यह केवल श्रमसाध्य प्रयासों और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो सका, विशेष रूप से डेटा एंट्री ऑपरेटरों, रिकॉर्ड और मलखाना मोहर, ड्यूटी अधिकारियों, जांच अधिकारियों, एसएचओ, पर्यवेक्षी अधिकारियों आदि से विभिन्न लक्ष्य समूहों के संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के कई दौर आयोजित करने में। इन महत्वपूर्ण प्रयासों ने दिल्ली पुलिस को भारत के 11 राज्यों को लागू करने वाले सभी सीएएस के बीच पहली रैंक हासिल करने में सक्षम बनाया है, जैसा कि एनसीआरबी, एमएचए द्वारा प्रकाशित परिणामों के अनुसार सितंबर 2018 से पिछले तीन महीनों के लिए प्रकाशित किया गया है।

गृह मंत्रालय का सीसीटीएनएस राष्ट्रीय नागरिक पोर्टल 9 बुनियादी नागरिक सेवाएं प्रदान करने का आदेश देता है। इन सेवाओं में शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना है; प्राथमिकी की प्रतियां प्राप्त करना; गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण; लापता/अपहरण किए गए व्यक्तियों का विवरण और गिरफ्तार, अन्नात व्यक्तियों और शर्वों के साथ उनका मिलान; चोरी/बरामद किए गए वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण; विभिन्न एनओसी जारी करने/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना; नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध; और सूचना साझा करने और नागरिकों को आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल उपलब्ध कराना आदि शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने भारत के सभी राज्यों में सीसीटीएनएस के राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही उपर्युक्त 9 सेवाओं सहित कुल 25 नागरिक सेवाएं प्रदान की हैं। अतिरिक्त सेवाएं खोया और पाया लेख, आर्थिक और साइबर अपराधों के लिए ऑनलाइन शिकायत, एमवी-चोरी ई-एफआईआर, संपत्ति चोरी ई-एफआईआर, पुलिस निकासी प्रमाणपत्र, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, गुमशुदा/चोरी मोबाइल फोन, यौन अपराधी सूची, आरटीआई, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के लिए

सुरक्षा ऐप (हिम्मत), ट्रैफिक सेंटिनल, घोषित अपराधी, लावारिस/जब्त वाहन की तत्वाशी, अज्ञात बच्चों और व्यक्तियों की खोज आदि इनमे शामिल हैं।

अधिकारी-उन्मुख पुलिसिंग मॉडल

एक महानगरीय शहर में युवाओं का गुस्सा अक्सर कानून और व्यवस्था की स्थिति और बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों में व्यक्त हुआ है। किसी भी महानगरीय पुलिस बल के लिए युवाओं को कुशल बातचीत में शामिल करना, उनकी शिकायतों को कानूनी रूप से हवा देने की अनुमति देते हुए भी उन्हें शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। दिल्ली पुलिस पर इस तरह के प्रदर्शनों और धरनों को नियमित रूप से संभालने की महती जिम्मेदारी है।

दिल्ली पुलिस ने कानून और व्यवस्था की स्थितियों में कुशल लेकिन प्रभावी, युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से अधिकारी-उन्मुख पुलिसिंग के इस मॉडल को लॉन्च किया है। इस मॉडल में, अधिकारी और महिला पुलिस कर्मी प्रदर्शनकारियों की तुलना में सबसे आगे रहते हैं, और दंगा विरोधी प्लाटून आकस्मिक विकल्प बन जाते हैं। इसने इस वर्ष समृद्ध लाभांश का भुगतान किया है और टकराव की स्थितियों को शुरू में ही समाप्त कर दिया गया है।

जन सुविधा अधिकारी

पुलिस की छवि के बारे में जनता की धारणा पुलिस के प्रदर्शन के कई पहलुओं पर निर्भर करती है, लेकिन जब कोई शिकायतकर्ता किसी भी कार्य/शिकायत से संबंधित सहायता/मार्गदर्शन के लिए पुलिस से संपर्क करता है तो शिकायतकर्ता से संपर्क के पहले बिंदु पर कैसे निपटा जाता है, यह महत्वपूर्ण कारक है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने थानों में जन सुविधा अधिकारी तैनात किए हैं। इस अभिनव प्रयास में, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और संवेदनशील पुलिस अधिकारी (पुरुष और महिला) पुरुष पुलिस स्टेशन के प्रारंभिक संपर्क बिंदु हैं और उन्हें जन सुविधा अधिकारी (पीएफओ) के रूप में नामित किया गया है जनता से सहज संपर्क बनाने और सुविधा प्रदान करन के लिए ये पीएफओ विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सादी वर्दी पहनते हैं। कोई भी आगंतुक पुलिस स्टेशन में जन सुविधा अधिकारी से मिल सकता है -

- मोटर वाहन चोरी सहित चोरी के मामलों के लिए ई-एफआईआर दर्ज करना
- खोई हुई रिपोर्ट दर्ज करना
- शिकायतें दर्ज करना
- घरेलू नौकरों और किरायेदारों का पंजीकरण और सत्यापन,
- सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के लिए चरित्र सत्यापन रिपोर्ट
- पंजीकृत एफआईआर और रिपोर्ट दर्ज करना

- पुलिस निकासी प्रमाणपत्र निजी नौकरियों और उत्प्रवास के लिए साइकिल पेट्रोलिंग

पार्किंग और भीड़भाड़ वाली गलियों और उप-गलियों आदि में गश्त के लिए एक "हरित" पहल के रूप में, दिल्ली पुलिस ने अपनी मौजूदा मोटरसाइकिल और पीसीआर गश्ती के पूरक के रूप में साइकिल गश्त की शुरुआत की है, जो मुख्य रूप से दिल्ली की मुख्य सड़कों और मुख्य सड़कों पर अपराध की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करती है। . साइकिल गश्त संकीर्ण और भारी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तक पहुँचती है जहाँ मशीनीकृत वाहनों को पहुँचना और स्थिर उपस्थिति बनाए रखना मुश्किल होता है। उनका उपयोग विषम समय के दौरान गश्त के लिए भी किया जा रहा है, जब निवासी आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि इस समय कम परेशान होते हैं।

नई योजनाएं

रफ्तार

दिल्ली पुलिस ने जीपीआरएस के माध्यम से सीपीसीआर से जुड़े 300 रफ्तार गश्त मोटरसाइकिलें लॉन्च की हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्रभुत्व और प्रभावी गश्त के साथ पुलिस के लिए बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करना है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उन पर विशेष ध्यान देने के साथ कमजोर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संकट कॉल की त्वरित प्रतिक्रिया भी है। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये मोटर साइकिल हमेशा अधिक उपयोगी होती हैं। "रफ्तार" नाम की यूनिट में विशेष रूप से सुसज्जित बाइक्स पर दो सदस्यीय दल हैं जो अपराध स्थल पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों के रूप में काम करते हैं। उन्हें भीड़भाड़ वाली गलियों में जाने और अपराध स्थल पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जहां पीसीआर वैन को पहुंचने में अधिक समय लगेगा। रफ्तार योजना के तहत मोटर साइकिलों का बेड़ा और बढ़ाया जाएगा।

ई-कियोस्क (सुविधासेवा)

दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी के संयुक्त प्रयास से एम्स और नई दिल्ली के खान मार्केट में फैसिलिटेशन कियोस्क (सुविधा सेवा) चालू कर दिए गए हैं। यात्रियों और यात्रियों की सुविधा के लिए आईजीआई हवाई अड्डे पर इंटरैक्टिव पैनल के साथ इस तरह का एक और सार्वजनिक सुविधा कियोस्क बनाया गया है। इन कियोस्कों में चोरी, वाहन चोरी, खोए हुए मोबाइल/सामान आदि के संबंध में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी

प्रदान की गई है, इसके अलावा कई अन्य सेवा वितरण प्रपत्रों को डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

केस संपत्तियों का डिजिटलीकरण : ई-मालखाना:

पुलिस को तकनीकी जानकार और प्रशिक्षित स्मार्ट पुलिस में बदलने के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर दिल्ली पुलिस द्वारा मालखानों के आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण की एक परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना के तहत, बुनियादी ढांचागत रूप से उन्नत मालखाना कक्ष में अद्वितीय बार कोड आईडी और उपयुक्त पैकेजिंग प्रदान करके मौजूदा केस संपत्तियों को डिजिटाइज़ किया गया है। अपनाई गई नवीन प्रणाली में मालखानों का सॉफ्टवेयर और भौतिक उन्नयन दोनों शामिल हैं। फोटोग्राफ के साथ केस प्रॉपर्टी का विवरण सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है। केस प्रॉपर्टी को कार्ड बोर्ड बॉक्स पर चिपकाए गए एक अद्वितीय बार कोड के साथ पैक किया जाता है और फिर एक विशेष अलमीरा या रैक पर रखा जाता है जिसका विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाता है। यह बटन के साधारण क्लिक पर केस प्रॉपर्टी का स्थान आसान बनाता है। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में लागू की जा रही ई-मालखाना परियोजना सीसीटीएनएस के अनुकूल है जहां वरिष्ठ अधिकारी मामले की संपत्तियों के प्रवाह और निपटान की निगरानी कर सकते हैं।

वाहनों के लिए केंद्रीकृत मालखाना

थाना परिसर की सफाई और अधिक जगह बनाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी वाहनों को प्रत्येक जिले के केंद्रीकृत मालखानों में स्थानांतरित किया जा रहा है। केंद्रीकृत मालखाना में उचित फेसिंग और लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे, स्टॉक रजिस्टर और चौबीसों घंटे कर्मचारियों की तैनाती की गई है। दिल्ली भर के पुलिस थानों में पड़े 40,000 से अधिक वाहनों को केंद्रीकृत मालखाना में स्थानांतरित कर दिया गया है।

जांच और कानून व्यवस्था का पृथक्करण

दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की संख्या में वृद्धि और जांच की गुणवत्ता और गति के संबंध में आम जनता की बढ़ती अपेक्षाओं के अलावा जांच में आवश्यक कानूनी अनुपालन ने यह अनिवार्य कर दिया है कि आपराधिक मामलों की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाए जो इसके लिए समर्पित हैं। जांच की गति और गुणवत्ता में सुधार के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद दिल्ली पुलिस के 30 पुलिस थानों में कानून और व्यवस्था से जांच को अलग करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वर्ष 2019 के दौरान, इस परियोजना को दिल्ली पुलिस के अन्य पुलिस स्टेशनों तक विस्तारित किया जाएगा, जिसके लिए 4227 कर्मियों

जिसमें एक एसआई, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की 1409 टीमों का गठन भारत सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है और कर्मचारी वर्तमान में बुनियादी प्रशिक्षण ले रहे हैं। जांच विंग के कर्मचारियों को विशेष रूप से जांच के कर्तव्यों का पालन करने का काम सौंपा जा रहा है और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कानून व्यवस्था के कर्तव्यों पर तैनात नहीं किया जाएगा। दो विंगों में कर्मचारियों का यह विभाजन विशेषज्ञता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करेगा और विशेष रूप से जघन्य मामलों में पीड़ितों/परिवारों को अपराध से प्रभावित पुलिस की प्रतिक्रिया में सुधार करने में मदद करेगा। इससे समयबद्ध तरीके से जांच की गुणवत्ता में सुधार होने और लंबित मुकदमे के मामलों का बेहतर पालन करने की उम्मीद है। इन्वेस्टिगेशन विंग के स्टाफ का चयन उनके सर्विस रिकॉर्ड और जांच करने के अनुभव की जांच के बाद किया जा रहा है। उन्हें अपने जांच कौशल में सुधार के लिए कानूनी, फॉरेंसिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये जांच दल कॉल/शिकायत के स्तर से जांच/पूछताछ करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कानूनी अनुपालन के साथ पूछताछ/जांच पेशेवर रूप से की जाती है और अंतिम रिपोर्ट तय समय में अदालतों में जमा की जाती है।

चेहरे की पहचान प्रणाली

दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट सिस्टम हासिल कर लिया है और इसे लापता बच्चों/व्यक्तियों के साथ एकीकृत कर लिया है और दिल्ली से गुमशुदा बच्चों को ट्रैक करने के लिए ज़ोनल इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम (ज़िपनेट) के बच्चों/व्यक्तियों के मॉड्यूल को ढूँढ़ लिया है। अज्ञात शर्वों की पहचान में सहायता और सहायता के लिए निकट मिलान परिणाम प्रदान करने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली कार्यात्मक रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की वेबसाइट www.trackthemissingchild@gov.in पर भारत के सभी राज्यों द्वारा अपलोड किए गए पाए गए बच्चों के फोटोग्राफ रिकॉर्ड के साथ मिलान करने के लिए इस सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को भी ट्यून किया गया है।

चेहरे की पहचान प्रणाली रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, खेल आयोजनों, सार्वजनिक रैलियों आदि जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्धों की निगरानी और पहचान में भी उपयोगी है। इसका उपयोग गुमशुदा बच्चों की पहचान करने और उन्हें बहाल करने के लिए भी किया जाएगा। लंबे अंतराल के बाद पाया गया क्योंकि यह प्रणाली बच्चे की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और सहवर्ती चेहरे के बदलावों का भी हिसाब रखेगी।

पुलिस अंकल

"पुलिस अंकल", स्कूली बच्चों तक पहुंचने और आने वाली पीढ़ी के बीच पुलिस, उसके कार्यों और कर्तव्यों आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए पुलिस का एक दोस्ताना चेहरा दिखाने के लिए हमारे सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम में एक अनूठी पहल है। पुलिस के सभी प्रमुख पहलुओं जैसे इतिहास, पदानुक्रम, कानून और बाल शोषण के मुद्दों, साइबर जागरूकता, यातायात नियमों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं आदि को शामिल करते हुए बाल अनुकूल तरीके से एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों को अपराध से दूर रहने और अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देगा।

निपुण

निपुण एक ई-लर्निंग पोर्टल, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा डिज़ाइन किए गए विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण और जानकारी देना है, पुलिस अधिकारियों को लाभान्वित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध होने से उम्मीद है कि पुलिस अधिकारी अपनी इयूटी के दौरान इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। किसी भी समय, कहीं भी पाठ्यक्रम लेने की सुविधा से अब पुलिस कर्मियों के लिए अपने कौशल का उन्नयन करना और काम के समय के साथ प्रशिक्षण के समय को संतुलित करते हुए अपनी शिक्षा को फिर से लागू करना संभव होगा।

पब्लिक पर्सेप्शन सर्वे

दिल्ली पुलिस ने नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। पुलिस सेवाओं के वितरण की प्रभावशीलता और व्यावसायिकता पर्याप्त निगरानी तंत्र के साथ एक प्रणाली आधारित इण्टिकोण विकसित करने पर निर्भर करती है। इन पहलों से प्राप्त परिणामों के सही प्रभाव या परिणामों का विश्लेषण पेशेवर और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए पब्लिक पर्सेप्शन सर्वे के माध्यम से पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समग्र विश्लेषण द्वारा ही किया जा सकता है। पुलिस बल पर समुदाय की सेवा करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। जन धारणा सर्वेक्षण सामान्य समुदाय से पुलिस बल और सामान्य रूप से इसकी सेवाओं पर प्रतिक्रिया एकत्र करने का एक माध्यम है और उन अपराधों का आकलन भी करता है जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। पब्लिक परसेप्शन सर्वे के साथ, इसका उद्देश्य पुलिस के साथ आम जनता के संतुष्टि स्तर, उनकी चिंताओं और उनकी संतुष्टि के स्तर/चिंताओं के पीछे के कारणों का पता लगाना है।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विश्व स्तर पर परीक्षण किए गए सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके एक पब्लिक पर्सेप्शन सर्वे करने के लिए, भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बनाई गई एक स्वायत्त संस्था, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) को नियुक्त किया है। पीड़ितों के संतुष्टि स्तर और दिल्ली पुलिस के साथ उनके समग्र अनुभव को समझाने के साथ-साथ रिपोर्ट न किए गए अपराधों की संख्या और अपराध की सूचना न देने के कारणों को समझाने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। यह पुलिसिंग के बारे में लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया तैयार करने और उनकी संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने में सहायक होगा।